

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

**—: अधिसूचना :—**

रॉची,

दिनांक :- 15.3.12

अधि.सं.—01/स्था.स्थाना./पद.—11-06/2012—1143/ जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अधीन अधीक्षण अभियंता के रिक्त पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु निम्नांकित स्तम्भ-02, में अंकित पदाधिकारी को अगले आदेश तक अपने मूल कार्य के अतिरिक्त स्तम्भ-04 में अंकित पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./गृह जिला/ जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन का स्थान	रिक्त पद/कार्यालय का नाम (जिसका अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करना है)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मिथिलेश कुमार 4390/सिंहभूम/26.01.57*	सचिव (प्रावै.), मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रॉची	अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, चाईबासा	

- यह आदेश पूर्णतः अस्थायी है। उक्त पद पर नियमित पदस्थापन के पश्चात् यह आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- उक्त कार्य के लिए संबंधित पदाधिकारी को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश उपाध्याय)  
सूक्ष्म उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

1143

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा रॉची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं कार्यालय अभिलेख हेतु इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(दिनेश उपाध्याय)  
सूक्ष्म उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

1143

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियाँ में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01, एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, रॉची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ श्री मिथिलेश कुमार, सचिव (प्रावै.), मुख्य अभियंता, रॉची/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी- 01, 02, 06, 07/ब, 07/यो. एवं 08 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- संबंधित पदाधिकारी को यह निदेशित किया जाता है कि अविलम्ब संबंधित पद का प्रभार ग्रहण कर विभाग को संसूचित करेंगे।

(दिनेश उपाध्याय)  
सूक्ष्म उप सचिव (प्र.)